



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 05.07.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 631/23 धारा 323/308/352/452 भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.09.2023 को वादी श्री मौ0 जुल्फकार पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम अलीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-जाफर पुत्र जमीर अहमद 2-अकीला पत्नी जाफर 3-फरहाना 4-कहकशा पुत्रीगण जाफर द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी व पुत्री के साथ मारपीट की गई, जिससे वादी की पत्नी को गंभीर चोट आयी । इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 631/23 धारा 323/308/352/452 भादवि बनाम जाफर आदि उपरोक्त पंजीकृत कराया गया ।



स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त जाफर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्ता अकीला द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.07.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 631/23 धारा 323/308/352/452 भादवि में वांछित अभियुक्ता कहकशा पुत्री जाफर निवासी ग्राम अलीपुरा उर्फ अलीमुद्दीन थाना नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

कहकशा पुत्री जाफर निवासी ग्राम अलीपुरा उर्फ अलीमुद्दीन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री रामवीर शर्मा थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 2.कां0 62 अंकित थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 3.म0कां0 2397 अंजली थाना नजीबाबाद बिजनौर
- 4.म0कां0 2406 प्रियंका थाना नजीबाबाद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट - थाना नगीना

दिनांक- 05.07.2024

थाना नगीना पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, लूट, चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.07.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुलजार पुत्र हारुन निवासी मौ0 काजी सराय चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 197/24 धारा 317(2)/317(5)/336(2)/345(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गुलजार पुत्र हारुन निवासी मौ0 काजी सराय चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण -

चोरी की स्पेलण्डर मोटरसाइकिल ।

अभियुक्त गुलजार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 363/16 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नगीना बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 340/17 धारा 307/34/379/511 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 411/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 210/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 280/20 धारा 20/8 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 292/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 197/24 धारा 317(2)/317(5)/336(2)/345(3) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी ललित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 05.07.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.07.2024 को वादी श्री लियाकत हसन पुत्र श्री वाहिद हसन निवासी मौ0 मुगलूशाह कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि वादी मकान बनाने का कार्य करता है तथा दुर्गा विहार कॉलोनी में एक मकान बनाने का कार्य कर रहा है । दिनांक 01/02.07.2024 की रात्रि में वादी का एक फावडा, लोहे के दो तसले, लोहे के दो चैनर व दो फर्मे की प्लेट चोरी हो गये । वादी ने कैमरों में देखा तो वादी का राजमिस्त्री मुन्नु पुत्र प्रेम सिंह निवासी सैन्ट मेरी कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर तथा 2.वाजिद पुत्र जाहिद निवासी कबाडीबाजार मुनीरगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर वादी के सामान को चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिये । वादी द्वारा चोरी करने वाले दोनो अभियुक्तों को सामान सहित पकडकर थाने पर लाया गया । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 353/2024 धारा 305(a)/317(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्तगण 1.मुन्नु पुत्र प्रेम सिंह निवासी सैन्ट मेरी कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2.वाजिद पुत्र जाहिद निवासी कबाडीबाजार मुनीरगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.मुन्नु पुत्र प्रेम सिंह निवासी सैन्ट मेरी कॉलोनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.वाजिद पुत्र जाहिद निवासी कबाडीबाजार मुनीरगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक फावडा

दो लोहे के तसले

दो लोहे के चैनर

दो लोहे के फर्मे (कॉलम बनाने वाले)



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 05.07.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.07.2024 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त नाजिम पुत्र नसीम निवासी मौ० भुड्डी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिम पुत्र नसीम निवासी मौ० भुड्डी कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ०नि० शिवकुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. का० 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ

दिनांक 05.07.2024

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 228/24 धारा

191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बीएनएस में वांछित
04 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 02.07.2024 को वादी श्री परमजीत कौर पत्नी हरि सिंह निवासी ग्राम भिककावाला चौराहा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगणों 1- मख्खन सिंह 2- गोपी सिंह 3- गगनदीप सिंह पुत्रगण बलविन्दर सिंह 4- गुल्लू 5- गोरी पुत्रगण रमेश 6- मधु पत्नी अर्जुन 7- धर्मवीरी निवासीगण ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ



जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के घर में घुसकर परिवारजनों के उपर लाठी डंडो के साथ जान से मारने की नियत से हमला किया गया, जिसमें वादिनी के पति हरि सिंह और बेटे गुरप्रीत सिंह व देवर सतनाम को गंभीर चोट आई । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया । दिनांक 04.07.2024 को उपचार के दौरान वादिनी के पति हरि सिंह उपरोक्त की मृत्यु हो गई । विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में धारा 103 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1- मख्खन सिंह 2- गोपी सिंह 3- गगनदीप सिंह पुत्रगण बलविन्दर 4- धर्मवीरी पत्नी स्व0 भूरे निवासीगण ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता –

- 1- मक्खन सिंह पुत्र बलविन्दर निवासी ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ बिजनौर।
- 2- गोपी सिंह निवासी ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ बिजनौर।
- 3- गगनदीप सिंह निवासी ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ बिजनौर।
- 4- धर्मवीरी पत्नी स्व० भूरे निवासी ग्राम इस्लामनगर उर्फ कालागढ थाना अफजलगढ बिजनौर।

आपराधिक इतिहास-

आपराधिक इतिहास मक्खन सिंह उपरोक्त-

1-मु०अ०सं० 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बीएनस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास गोपी सिंह उपरोक्त –

1-मु०अ०सं० 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बीएनस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास गगनदीप सिंह उपरोक्त –

1-मु०अ०सं० 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बीएनस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

2-मु०अ०सं० 266/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास धर्मवीरी उपरोक्त –

1-मु०अ०सं० 228/24 धारा 191(2)/191(3)/109/117(2)/131/333/351(2)/351(3)/3(5)/103 बीएनस थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- श्री पुष्कर सिंह थाना प्रभारी अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3- आरक्षी सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 4- म०आरक्षी हरजीत कौन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 5- मुख्य आरक्षी चालक रमेश चन्द थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 05.07.2024

सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर वायरल ऑडियो के सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बंध में ।

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न मोबाइल नंबरों से वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत कराये गये अभियोग में कार्यवाही कराने को लेकर स्वयं को पुलिस विभाग में कार्यरत् होना तथा पुलिस कार्यालय, बिजनौर में तैनाती बताकर अनुचित धन की मांग की जा रही है। इस सम्बंध में वादिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 619/24 धारा 318(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सभी जनपदवासियों को सूचित किया जाता है कि एक गैंग सक्रिय है, जिसके द्वारा UP COP एवं अन्य पोर्टल से एफ0आई0आर की पी0डी0एफ डाउनलोड करके पीडित से सम्पर्क कर मुकदमे में शीघ्र कार्यवाही कराने की बात कहकर रूपयों की अनुचित मांग की जाती है। इस प्रकार की घटना अन्य जनपदों में भी होना पायी गयी है। बिजनौर पुलिस सभी जनपदवासियों से अपील करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस के नाम पर पैसों की मांग करता है तो यह पूर्णतः अवैधानिक है तथा ऐसे प्रकरण के सम्बंध में आप तत्काल पुलिस कार्यालय आकर अपनी शिकायत दर्ज कराकर एफ0आई0आर पंजीकृत करायें। पुलिस के नाम पर इस तरह अवैध धन उगाही करने वाले गिरोह का बिजनौर पुलिस द्वारा शीघ्र पर्दाफाश कर गिरोह में शामिल सदस्यों को गिरफ्तार किया जायेगा।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहतौर

दिनांक – 05.07.2024

थाना नहतौर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर वायरल वीडियो से सम्बन्धित 02 युवकों को पुलिस हिरासत में लिया गया।

सक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर एक वीडियो रील वायरल हुई, जिसमे दो युवकों द्वारा हाथ व मुँह पर पट्टी बाँधकर व दूसरे हाथ मे TOY GUN से राह चलते लोगो को डराया धमकाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस द्वारा वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेकर वीडियो में दिख रहे युवकों के बारे मे जानकारी की गयी तो युवकों की पहचान 1.जुबैर पुत्र शाहिद निवासी मौ० शेखान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर व 2.आफताब पुत्र अ० रब निवासी मौ० नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर के रूप में हुई।

कार्यवाही –

आज दिनांक 05.07.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा 1.जुबैर पुत्र शाहिद निवासी मौ० शेखान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर व

2.आफताब पुत्र अ० रब निवासी मौ० नौधा कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को पुलिस हिरासत में लिया गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक- 05.07.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 615/24 धारा 74/352/351(2)/351(3) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त मोनू पुत्र नरेश निवासी मौहल्ला ज्योति नगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की व विरोध करने पर गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर मु0अ0सं0 615/24 धारा 74/352/351(2)/351(3) बीएनएस0 बनाम मोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.07.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र नरेश निवासी मौहल्ला ज्योति नगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोनू पुत्र नरेश निवासी मौहल्ला ज्योति नगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री सुमित राठी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक- 05.07.2024

**थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0- 172/2024 धारा- 307/323/504/506 भादवि मे
वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2024 को वादी श्री योगेश कुमार पुत्र श्री फूल सिंह निवासी ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना हल्दौर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.ऋतिक पुत्र तुलाराम 2.हुकम सिंह पुत्र परशे निवासीगण ग्राम नवादातुल्ला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर व इनके एक अन्य साथी द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नीयत से लाठी-डन्डों से वार किया गया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम ऋतिक आदि 03 नफर उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण ऋतिक व हुकुम सिंह उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जा चुका है ।

गिरफ्तार/अभिरक्षा में लिये गए बाल अपचारी का नाम व पता –

एक बाल अपचारी

गिरफ्तार/अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1550 कुलदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना

दिनांक- 05.07.2024

थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 196/24 धारा 64(1) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.07.2024 को वादिनी द्वारा थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम छायली थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने वादिनी के साथ गलत काम किया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 64(1) बीएनएस0 बनाम कुलदीप उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 351(3) बीएनएस0 की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.07.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम छायली थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कुलदीप सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम छायली थाना बढापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामचन्द्र थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. का0 1070 राजेश कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 05.07.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 235/24 धारा 354/504/506/376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2024 को वादिनी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण हितेश पुत्र नरेश व विपुल पुत्र विजयपाल निवासीगण ग्राम नौगरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेडछाड की गई व गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0



235/24 धारा 354/504/506 भादवि बनाम हितेश व विपुल उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हितेश पुत्र नरेश निवासी ग्राम नौगरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हितेश पुत्र नरेश निवासी ग्राम नौगरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरी0 श्री जीत सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1962 रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 05.07.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.06.2024 को थानाध्यक्ष हल्दौर द्वारा अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम प्रेमनगर (जलालपुर हसना) थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2.कामेन्द्र उर्फ चटुकी पुत्र ओमकार निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3.निपेन्द्र उर्फ कलवा पुत्र भगवन्त निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के विरुद्ध जिलाधिकारी, बिजनौर के अनुमोदन के उपरान्त उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 192/2024 धारा 2(b)(I), 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.राहुल पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम प्रेमनगर (जलालपुर हसना) थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2.कामेन्द्र उर्फ चटुकी पुत्र ओमकार निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 3.निपेन्द्र उर्फ कलवा पुत्र भगवन्त निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.राहुल पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम प्रेमनगर (जलालपुर हसना) थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 2.कामेन्द्र उर्फ चटुकी पुत्र ओमकार निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
- 3.निपेन्द्र उर्फ कलवा पुत्र भगवन्त निवासी ग्राम जलालपुर हसना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

अभियुक्त राहुल का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 346/23 धारा 302/201/34 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 03/20 धारा 147/148/323/504/506/427 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त कामेन्द्र उर्फ चटुकी का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 346/23 धारा 302/201/34 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

अभियुक्त निपेन्द्र उर्फ कलवा का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 346/23 धारा 302/201/34 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- थानाध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2- उ०नि० श्री मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 3- हे०कां० 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 4- हे०कां० 636 ओमपाल थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 5- कां० 47 तालिम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 6- कां० 386 सोहित कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर